151 नि0 / 2889 / III / 15

न्यायालय में श्री मान राजस्व मण्डल कैम्प रीवा (म0प्र0)

श्री ...अ.र.... डी.... गुप्ता
आवेदक / अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर शहडोल

हीरालाल वल्द कोदरा गोड सा0 वेन्दी थाना व तहसील राजेन्द्रग्राम / पुस्पराजगढ जिला अनूपपुर (म0प्र0)....................निगरानीकर्ता

बनाम

1. चन्द्रभान सिंह पिता रावत सिंह
2 मान सिंह पिता रावत सिंह
   मृत जरिये वैध उत्तराधिकारी
   (अ) आनन्द सिंह गोड (ब) राय सिंह गोड (स) मन्ना सिंह गोड
   (द) दलवीर सिंह उक्त चारो पिता
3. गोकुल सिंह पिता रावत सिंह
4. हल्कुदास उत्तराधिकारी – (क) भूवतदास उर्फ भूया पनिका (ख) रामशरण (ग) दशरथ (घ) संतोष (ड.) दिलीप आत्मज हल्कूदास पनिका
5. रतीराम आत्मज साधू सिंह मृत जरिये उत्तराधिकारी विद्यावती आत्मजा रतीराम गोंड सभी निवासी ग्राम वेन्दी तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर (म0प्र0)..गैर निगरानीकार

क्रमांक 6664
आज प्राप्त
27.8.15
राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी आदेश दिनॉक – 30 / 05 / 2014

प्र0क0 94 निगरानी , 2012 –13 न्यायालय

श्री मान अपर कमिश्नर शहडोल

चन्द्रभान बनाम रतीराम वगैरह

मान्यवर

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है।

प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित है:–

यह कि आवेदक / निगरानी कर्ता माननीय कलेक्टर साहब अनूपपुर के न्यायालय में प्रकरण क0 03 पुर्नविलोकन / 2006–2007 में आपत्तीकर्ता / गैर निगराकार आपत्तीकर्ता के रूप में गैर निगराकार के द्वारा आपत्तीकर्ता को पक्षकार न बनाये जाने के कारण उपस्थित हुआ था। और पूरे प्रकरण के सुनवाई के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहा तथा पक्षकार बनने के लिए निगराकार नें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार किया गया था। संभवतः वकील की गलती के कारण प्रकरण के उनमान मे निगराकार का नाम नही जोडा होगा इस कारण निगराकार के नाम पक्षकार की नामो मे लाल स्याही से अंकित नही हुआ फिर भी निगराकार निर्णय दिनॉक तक न्यायालय में उपस्थित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 **R.**2889–तीन/15 जिला–अनूपपुर

हरिलाल सिंह गोड़/चंद्रभान सिंह

(1)	(2)	(3)
24.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	